

पुस्तक

श्री अजीत यादव,
संयोजक सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शुभिय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भवन 2, अजमेर रोड,
प्रति विहार ई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुक्रम


तदनुक: दिनांक: 19 जुलाई 1999


विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर बुलंदशहर को अनामकृत प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र काने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर बुलंदशहर को सी०बी०उ०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनामकृत प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 1. विद्यालय को प्रयोग कृत सीमापथी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2. विद्यालय का प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए नियमित रूप से प्रवेश शुरू नहीं किया जायेगा ।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/लोकल कार डि इन्डियन स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम/सी०बी०उ०सी०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने को शिक्षा परिषद से सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पन्न हो जायेगी ।
- 5. संस्था के लिए सभी निदेशक कार्यालयों को राजकीय सहायता प्राप्त निम्न संस्थाओं के कार्यालयों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6. कार्यालयों की सेवा नहीं कराया जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आतासीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यालयों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की भी राष्ट्रीय विद्यालयों को जारी की संस्था उनका पालन करेगा ।


Principal
Delhi Public School
Bulandshahr-203001 (U.P.)


Chairperson
Delhi Public School
Bulandshahr (U.P.)

181 विद्यालय का रिजल्ट निर्धारित प्रश्न/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111 विद्यालय के उपयोगार्थ रूप को बढ़ा भूमि पर खनन का निर्माण कराकर कार्य समाप्त की जाय ।

121 शान्तिनगरी दिनांक 30-11-91 में उचित प्रतिबंध तोलावटी काज्याप ^{समिति} कराये जाय ।

131 कागजगती तथा रिजल्ट सुनिश्चित कार्य न किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की युक्त या गिरफ्तारी बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा बुद्धिमत्त अन्वेषित प्रमाण एवं धारा 10 में लिखा जायेगा ।

संक्षेप

प्रमुख अधिकारी
संयुक्त सचिव ।

संज्ञिका 1577111/13-7-1999 ए.ए.दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- संक्षेप संयुक्त शिक्षा निदेशक देहली ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, बुलंदशहर ।
- 4- निरीक्षक, उच्च मातृशाला विद्यालय उ.प्र. लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर ।

असत से,

(Signature)

प्रमुख अधिकारी
संयुक्त सचिव ।

(Signature)
Principal
Delhi Public School
Bulandshahr-203001 (U.P.)

Chairperson
Delhi Public School
Bulandshahr (U.P.)